# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 203/2023

नसरू पुत्र कल्याण जाति मेव निवासी ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

2. फजरू पुत्र कल्याण जाति मेव निवासी ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी

श्री जगदीश सिंह लोधा वकील तरतीवी प्रतिवादी

दिनांक :– 01/04/2024

## निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 252/0.08, व खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 162/0.06, 279/0.13, 283/0.09, 601/0.16, 65/0.09, खाता संख्या 121 के खसरा नम्बरान 400/0.37, 450/0.05, 301/0.13, 302/0.13 हैक्टर बांके ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी में स्थित है। तरतीवी प्रतिवादी फजरू वक्त दावा दायरी न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं आ सका इसलिए उसे मुकदमें में तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। जिसके हित व अधिकार समान है। आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 252 का एक मात्र वादी सम्पूर्ण रकबे का तथा खाता संख्या 120 में दर्ज आराजी का वादी 1/2 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी 1/2 हिस्से का और खाता संख्या 121 में दर्ज आराजी के वादी व तरतीवी प्रतिवादी 1/4–1/4 हिस्से के रिकॉर्डेड गैरखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है आराजी पूर्व में वादी व तरतीवी प्रतिवादी के पिता कल्याण पुत्र अमरू की कब्जे काश्त की आराजी थी। आराजी मुतदाविया को वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक एक खातेदार की हैसियत से काबिज रहकर काश्त किया और उनकी मृत्यु के उपरान्त अब वादी व तरतीवी प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि धारा 16 के तहत नहीं आती है। आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही वादी के बुजुर्गान की अलांटी का रकबा था जिसे कानूनन रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था लेकिन आज भी वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 13/11/2023 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी व तरतीवी प्रतिवादी के पिता कल्याण पुत्र अमरू अलांटी के रूप में काबिज काश्त थे । अब वादी व तरतीवी प्रतिवादी का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है । मुताबिक कानून वादी व तरतीवी प्रतिवादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री जगदीश सिंह लोधा वकील उपस्थित आये। जबाब पेश ना करने के कारण जबाब दावा बन्द किया गया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

**तनकी संख्या 1 :–** आया आराजी मुतदाविया स्थित ग्राम कुकरपुरी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है और आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने बुजुर्गान के समय से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

.....वादी

**तनकी संख्या 2 :–** आया वादी व तरतीवी प्रतिवादी अपने कब्जे काश्त की आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने–आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

3 :– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 नसरू, का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2017–21, 2021–24, 2023–26, 2037–40, 2040–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2062–65, 2070–75 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2009–12, 2010–13, 2015–18, 2018–21, 2022–25, 2025–28, 2034–37, 2038–41, 2040–45, 2046–49, 2054–57, व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी मुतदाविया स्थित ग्राम कुकरपुरी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है और आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने बुजुर्गान के समय से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी के पिता की आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2011–14 में आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी के पिता कल्याण पुत्र अमरू की आराजी थी। वादी व तरतीवी प्रतिवादी के पिता कल्याण पुत्र अमरू के गुजरने के बाद वादी व तरतीवी प्रतिवादी ने वारिसान के रूप में काश्त की अब वादी व तरतीवी प्रतिवादी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही बतौर अलांटी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

**तनकी संख्या :– 2** आया वादी व तरतीवी प्रतिवादी अपने कब्जे काश्त की आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने–आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी व तरतीवी प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। वादी व तरतीवी प्रतिवादी का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी व तरतीवी प्रतिवादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाइक वादी निर्णित की जाती है।

**3. दादरसी :–** तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी को आराजी खसरा नम्बर 252/0.08, व खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 162/0.06, 279/0.13, 283/0.09, 601/0.16, 65/0.09, खाता संख्या 121 के खसरा नम्बरान 400/0.37, 450/0.05, 301/0.13, 302/0.13 हैक्टर बांके ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner